तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 56/2015 अनवान गंगाराम बनाम भगाराम वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय डाबलीसरा पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक **24.11.2021** को ग्राम पंचायत मुख्यालय डाबलीसरा , राजीव गांधी सेवा केन्द्र डाबलीसरा पर पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर	
24.11.2021	यह पत्रावली आज बमुकाम डाबलीसरा, राजीव गांधी सेवा डाबलीसरा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुउपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत मौजा अभोणियों का सरा के खसरा नंबर 638/374 रकबा 147.09 बीघा मे सुखाचार हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 के खेत खसरा नं. 599/374 रकबा 145.08 बीघा में से 10 फिट चौड़ा नया रास्ता खोलने एवं राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया। आवेदन पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, बाड़मेर से मौका प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शामिल मिशल हो पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा अभोणियों का सरा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 638/374 रकबा 147.09 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थी के खेत से अन्य सुविधाएं प्राप्त करने हेतु आने–जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। सड़क मार्ग से प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए श्री भगाराम पुत्र दौलाराम, श्री मोहनराम पुत्र दौलाराम, श्री लुम्भाराम पुत्र दौलाराम, रूपों पत्नी दौलाराम जाति जाट निवासी अभोणियों का सरा, तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 599/374 रकबा 145.08 रास्ते हेतु उपयोग रकबा 2.14 बीघा बीच में पडता है। उक्त खसरा के खेत की कुल 2.14 बीघा भूमि संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्ग की आवश्यकता है। उक्त मार्ग हेतु आवश्यक मुआवजा राशि प्रार्थी अदा करने को तैयार है। तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा मजमे आम में पृष्टि की गई कि उनके द्वारा	
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर		

प्रकरण मे पत्रांक 617 दिनांक 03.03.2020 को रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि ग्राम अभोणियों का सरा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 638 / 374 रकबा 147.09 बीघा मे पहुँचने हेतु मौजा अभोणियों का सरा के खसरा नंबर 599 / 374 रकबा 145.08 बीघा, रास्ते हेतु उपयोग रकबा 2.14 बीघा भूमि की बाजार दर प्रति बीघा का 02 गुणा राशि उक्त खसरें में से गुजरता पडेगा। प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 4 गट्ठा रखी गयी है, जो आपस में जुड़ने वाले खसरों की सीमा पर प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा उक्त खेत में पहुचने का काई मार्ग नही है।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग इस खेत में जाने के लिए नही है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थी को आने–जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग उचित प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। मौजा अभोणियों का सरा के खसरा नंबर 638 / 374 रकबा 147.09 बीघा मे पहुँचने हेतु मौजा अभोणियों का सरा के खसरा नंबर 599 / 374 रकबा 145.08 बीघा, रास्ते हेतु उपयोग रकबा 2.14 बीघा भूमि की बाजार दर प्रति प्रचलित बाजार दर उप पंजीयक बाड़मेर द्वारा बताऐ अनुसार का 02 गुणा राशि जिसकी गणना तहसीलदार, बाड़मेर द्वारा करने के बाद में मार्ग का क्षैत्रफल 2.14 बीघा है, जो संलग्न नक्शा में बरंग ''काला'' दर्शाया है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्रार्थी राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी श्री भगाराम पुत्र दौलाराम, श्री मोहनराम पुत्र दौलाराम, श्री लुम्भाराम पुत्र दौलाराम, रूपों पत्नी दौलाराम जाति जाट निवासी अभोणियों का सरा, तहसील बाड़मेर को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर